

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A central university established by the central universities act, 2009 No.25 of 2009)

EOI आमंत्रण

क्रमांक 07 /ग्रंथालय/2012

बिलासपुर, दिनांक 09.04.2012

केन्द्रीय ग्रंथालय में रूपये चार लाख की स्टेशनरी सामग्री क्य किया जाना है। इस कार्य हेतु पंजीकृत इच्छुक प्रदायकों से EMD अमानत राशि (रूपये 12,000/-) के साथ डिमांड झापट जो कि कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के नाम देय हो, संलग्न कर आवेदन पत्र दिनांक 09 मई 2012, संध्या 4.00 बजे तक केन्द्रीय ग्रंथालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। EOI से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य शर्तें विश्वविद्यालय के website www.ggu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रंथपाल

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A central university established by the central universities act, 2009 No.25 of 2009)

EOI प्रपत्र

(मूल्य रु. 200.00)

निविदा प्रपत्र प्राप्ति तिथि

कार्यालयीन

समय में

सील बंद निविदा जमा तिथि

समय 3.00 बजे

निविदा खोलने की तिथि

समय संध्या 4.00 बजे

1. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता
.....

(दरभाष नम्बर सहित)

2. फर्म का नाम एवं पर्ण पता

(दरभाष एवं मोबाईल नं. सहित)

3. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति

4. टिन नं. /पेन कार्ड की छाया प्रति

5. यदि आयकर अदा किया गया है, तो

अदा किये गये आयकर प्रमाण पत्र की छायाप्रति

तथा सत्र 2011–12 आयकर विवरणिका की छायाप्रति

6. किसी शासकीय संस्था में प्रदाय किये गये कार्यादेश की छायाप्रति

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र पूर्णतः सत्य है। यदि गलत पाया जाता है तो संलग्न किये गये अमानती राशि जब्त कर, नियमानुसार कार्यवाही करने का विश्वविद्यालय को अधिकार होगा।

आवेदक का नाम एवं पता

हस्ताक्षर

(सील सहित)

EOI की शर्तें

1. EMD की अमानत राशि (कुल 3%) आवेदन के साथ देय होगी। यह राशि (रुपये 12,000.00) DD द्वारा कुलसचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के पक्ष में देय होगी।
2. EOI फार्म निविदा कर्ता अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही भरी जावे।
3. निविदा फार्म में कॉट-छॉट (over writing) होने पर आवेदन फार्म निरस्त माना जावेगा।
4. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना किसी सूचना के निविदा को निरस्त कर सके।
5. विवाद की स्थिति में बिलासपुर संभाग का क्षेत्राधिकार मान्य होगा, साथ ही विवाद की स्थिति में निविदा कर्ता द्वारा प्रथम अपील निविदा स्वीकृत होने के 15 दिनों के अन्दर कुलसचिव को करना होगा। विवाद का समाधान न होने की स्थिति में 30 दिनों के अन्दर पुनः द्वितीय अपील माननीय कुलपति महोदय को की जा सकती है उनका निर्णय सर्वमान्य होगा।
6. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, टीन नंबर/पेन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. दर स्वीकृत होने के पश्चात् फर्म के द्वारा सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई अमानती राशि जब्त किया जा कर द्वितीय फर्म (Second- L) को कार्यादेश दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।
8. फर्म के द्वारा प्रदायित किये गये सामग्री की सत्यापन उपरांत ही भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
9. फर्म को आदेश प्राप्ति के तीन माह के अन्दर सामग्री प्रदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उसे वि.वि. को सूचित कर समय बढ़ाने हेतु आग्रह करना होगा।

ग्रंथपाल

नोट: जो प्रदायक म्ट क्रमांक 1186/ग्रंथालय/2012 बिलासपुर, दिनांक 14.03.12 के तहत आवेदन भेज चुके हैं, उन्हें दुबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका पूर्व का आवेदन ही मान्य किया जायेगा किन्तु उन्हें एक आग्रह पत्र भेजना अनिवार्य होगा।

Library Stationery Items

Details of Library Stationery Items Required:

1. Library Loan Register 30 no.
2. Library Visitor's Register 60 no.
3. Date Slip 25 thousand
4. Book Pocket 30 thousand
5. Book Card 20 thousand
6. Accession Register 20 no. (of five thousand entry provision)
7. Internet Register 50 no.
8. Binding Register 20 no.
9. Borrower Register 20 no.

Librarian